रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 दिसम्बर, 2003/29 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 12 दिसम्बर, 2003

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-4129.—क्योंकि श्री जगदीश सेठी, पत्रकार, गांव डंगार चौक, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर द्वारा श्रीमती राजो देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत डंगार के विरुद्ध विकास कार्यों में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में की गई शिकायत की प्रारम्भिक जांच जिला अंकेक्षण अधिकारी (पं0), जिला बिलासपुर द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत डंगार के सम्मुख दिनांक 19-9-2003 को की गई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रधान, ग्राम पंचायत डंगार आरोप सं0 1 में मु0 237 रु0, आरोप सं0 2 में मु0 213.30 रुपये, आरोप सं0 3 में मु0 1022.60 रुपये तथा आरोप संख्या 4 में मु0 408 रुपये की राशियों का छलहरण/दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए थे।

तदोपरान्त श्रीमती राजो देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत डंगार, विकास खण्ड घुमारवीं को इस कार्यालय के पत्र संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-3787-89, दिनांक 15-11-2003 द्वारा कारण बताओ नोटिस आरोपों सहित जारी किया गया था। प्रधान द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस कार्यालय में दिनांक 28-11-2003

को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने छलहरण/दुरुपयोग की गई राशियों को ग्राम पंचायत डंगार में जमा किया गया दर्शाया गया है और इस सन्दर्भ में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है जो कि कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते न्याय संगत एवं उचित नहीं है । जिस कारण श्रीमती राजो देवी को प्रधान के पद पर बने रहना जनहित में नहीं है ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा हि0 प्र0 (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती राजो देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत डंगार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उनको आदेश देता हूं कि उनके पास ग्राम पंचायत डंगार का कोई अभिलेख, चल या अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत सचिव डंगार को सौंप दें ।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 8 दिसम्बर, 2003

संख्या पी सी एच (कु0) ग्रा0 पं0/शि0 घा0-2238-42.—यह कि श्री सुन्दर सिंह, पंच, ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू द्वारा प्रधान श्री भगत सिंह के विरुद्ध आरोप लगाए गए कि उक्त प्रधान द्वारा श्री सुन्दर सिंह पंच, का मानदेय भत्ता माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2001 का उन्हें अदा नहीं किया गया और मानदेय भत्ते प्राप्ति पर श्री जय सिंह, पंच से उनके फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए जिसकी पुष्टि में श्री जयसिंह ने ब्यान दिए हैं कि उसने श्री सुन्दर सिंह के फर्जी/जाली हस्ताक्षर प्रधान श्री भगत सिंह के कहने पर किए । इसी आशय मे सम्बन्धित शिकायत श्रीमती हीरा देवी व उन्ना देवी, वार्ड पंचों द्वारा भी की गई है ।

यह कि श्री सुन्दर सिंह, पंच द्वारा लगाए गए आरोप की जांच सहायक आयुक्त एवं खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार के माध्यम से पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड बन्जार द्वारा करवाई गई तथा जांच उपरान्त पाया गया कि उक्त प्रधान द्वारा श्री सुन्दर सिंह, पंच को मानदेय अदा न कर रसीद पर श्री जय सिंह, पंच से श्री सुन्दर सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग तथा राशि का गबन किया है । अतः क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री भगत सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत शिकारीघाट, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू को प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। श्री भगत सिंह, प्रधान का उत्तर इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

कुल्लू, 8 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 पं0/शि0 धा0-2343-47.—यह कि श्री सुन्दर सिंह, पंच ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू द्वारा श्री जय सिंह पंच के विरुद्ध आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा श्री सुन्दर सिंह पंच के मानदेय भत्ता मु0 300/रुपये बावत माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2001 की पावती रसीद पर श्री सुन्दर सिंह पंच के फर्जी हस्ताक्षर किये गये।

यह कि श्री सुन्दर सिंह पंच द्वारा लगाये गये आरोप की जांच सहायक आयुक्त एवं खण्ड विकास अधिकारी बन्जार के माध्यम से पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड बन्जार द्वारा करवाई गई तथा जांच उपरान्त पाया गया कि उक्त पंच द्वारा श्री सुन्दर सिंह पंच के फर्जी हस्ताक्षर किये गये जो उनके द्वारा जांच के दौरान स्वयं भी स्वीकार किया गया है। इस तरह उक्त पंच श्री जय सिंह ने फर्जी हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की है। अतः क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाये।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री जय सिंह पंच ग्राम पंचायत शिकारीघाट, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू को पंच पद से निलम्बित किया जाये। श्री जयसिंह पंच का उत्तर इस पत्र की प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को खण्ड विकास अधिकारी बन्जार के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 4 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एम0 एम0 एल0 (4) 20/77-17313-18.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा से प्राप्त सूचना तथा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, रझाणा की रिपोर्ट अनुसार श्री प्रेम सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत रझाणा दिनांक 29-10-2001 से 14-12-2001 तक लगातार पंचायत की चार मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण पंचायत के विकास कार्यों तथा गणपूर्ति पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रतीत होता है कि वह सदस्य पद के कर्त्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131ख के अन्तर्गत पंचायत या इसकी समितियों की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना 6 मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहो होता है तो वह उप-धारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

यह कि उक्त श्री प्रेम सिंह सदस्य ग्राम पंचायत रझाणा लगातार पंचायत की 4 मासिक बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131ख की उल्लंघना की है बल्कि ग्राम पंचायतों की गणपूर्ति तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई है।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(ख) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री प्रेम सिंह, सदस्य ग्राम पंचायत रूझाणा को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत रूझाना के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 16 दिसम्बर, 2003

संख्या पी सी एच-एस एम एल (दो बच्चे)/2002-17458-65.—यह कि पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड चौपाल तथा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत काण्डा बनाह, तहसील चौपाल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री परमा नन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह ने अपनी दूसरी जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 30-1-2002 को तीसरी सन्तान पैदा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना की है इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-191-97, दिनांक 14-7-2003 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्री परमा नन्द,उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह को इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में उनसे जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के ब्यान तथा जन्म परिवार रजिस्टर भाग-1 व राशन कार्ड रजिस्टर से यह पुष्टि हो चुकी है कि उक्त श्री परमा नन्द उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के दिनांक 30-1-2002 को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है।

यह कि पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड चौपाल तथा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्री परमा नन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह की तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुये 8-6-2001 के पश्चात अर्थात 30-1-2002 को तीसरी सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गया है।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना करने पर परमा नन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह को ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह को सौंप दें।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

नाहन, 9 दिसम्बर, 2003

सं० पीसीएन-एसएमआर (5) 50/96-111-11782-90.—यह की सहायक आयुक्त (विकास), विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा श्रीमती आशा रानी, सदस्या, वार्ड नं० 5—कुन्जा-3, ग्राम पंचायत कुन्जा, विकास खण्ड पांवटा साहिब का घरेलु परिस्थितियों के कारण त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः मैं, एम० एस० नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन (हि० प्र०), हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(3) तथा हि० प्र०, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(2) के अन्तर्गत श्रीमती आशा रानी, सदस्या, वार्ड नं० 5—कुन्जा-3, ग्राम पंचायत कुन्जा, विकास खण्ड पांवटा साहिब का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं।

एम० एस० नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन (हि० प्र०)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित